कार्यालय प्राचार्य, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस श्री नीलकण्ठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर (अग्रणी) महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.)

दिनांक : 21/08/2024

क्रमांक 3456 / 2024

/ / दिव्यांगजनों हेतु विशेष भर्ती अभियान / /

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत जिला खण्डवा में निम्नानुसार दिव्यांगजनों के रिक्त पदों हेतु विशेष भर्ती अभियान के तहत निर्धारित योग्यता एवं अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिये दिनांक 02/09/2024 (कार्यालयीन समय) तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.	पदनाम/वेतनमान	पद श्रेणी	शैक्षणिक योग्यता	दिव्यांगजन के लिए आरक्षित रिक्त पदों की संख्या		
				"बहरे और कम सुनने वाले (EH)'	"दृष्टिबाधित एवं कम दृष्टि (VH)"	"ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मानसिक बिमारी और बहुविकलांगता (MD)"
1	प्रयोगशाला परिचारक वेतनमान - 18000-56900/-	चतुर्थ श्रेणी	कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण	01	0	0
2	अन्य चतुर्थ श्रेणी के पदों का पदनाम- भृत्य, वेतनमान - 15500-49000/-	चतुर्थ श्रेणी	कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण / सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार	0	01	01

उक्त विज्ञापन के आवश्यक नियम एवं निर्देश तथा आवेदन का प्रारूप महाविद्यालय की वेबसाइट https://snpgcollegekhandwa.in/ पर एवं कार्यालयीन समय में महाविद्यालय में उपलब्ध है।

प्राप्त आवेदन पत्रों पर "वाक इन इंटरव्यू" दिनांक 06/09/2024 को प्रात: 11:00 बजे से प्रारंभ किया जावेगा।

प्राचार्य
प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस
श्री नीलकण्ठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर (अग्रणी)
महाविद्यालय, खण्डवा

Principal
S.N. Govt. P.G. College
KHANDWA (M.P.)
Phone: 2222206

परिशिष्ट – 01

आवश्यक नियम एवं निर्देश :-

1. आवेदक का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. समस्त प्रमाण पत्र की स्वंय सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष निर्धारित है ।
4. आवेदक का म.प्र. में किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
5. विभाग में कार्यरत आवेदक कर्मचारी नियोजक के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
6. साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां दिखाना अनिवार्य है।
7. संबधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ही प्रमाण-पत्र मान्य होगा, ऐसे दिव्यांग जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम है वे अपात्र मान्य किये जावेंगे तथा साथ ही यू.डी.आई.डी. सै जारी दिव्यांगता डिजिटल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
8. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, इस पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
9. जिस आवेदक को 02 से अधिक संतान है उनमें से एक का जन्म यदि 26 जनवरी 2001 को या उससे पश्चात हुआ हो तब ऐसा आवेदक नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
10. साक्षात्कार से पूर्व संबंधित पद की समस्त अर्हता/योग्यता आवेदक के पास होना आवश्यक है।
11. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा भोपाल के पास सुरक्षित होगें।
12. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक दिनांक 17/07/2014 के अनुसार नि:शक्तजनों की नियुक्ति के पश्चात् एवं उनके कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड से नि:शक्तता प्रमाण पत्र का परिक्षण कराया जाये ।
13. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 13.10.2015 के अनुसार मूक बधिर श्रेणी के नि:शक्तजनों की शासकीय भर्ती से पूर्व मेडिकल बोर्ड में बैरा टेस्ट (Bera Test) कराना अनिवार्य है।
14. मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र दिनांक 31.05.2024 की कंडिका 2.4 के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से की जाये, यह स्पष्ट किया गया है कि वॉक-इन-इंटरव्यू से आशय साक्षात्कार के लिए पृथक से अंक दिये जाने की आवश्यकता नहीं है । उच्च शिक्षा विभाग के रिक्त पदों के लिए नियमों में उल्लेखित आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता के आधार पर मैरिट सूची बनायी जाकर पद पूर्ति की जाए ।
15. इस विशेष भर्ती अभियान में सामान्य प्रशासन विभाग एवं मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के समय-समय पर जारी नियम एवं निर्देश लागू किये जावेंगे।
16. विज्ञापित पदों की संख्या कम या अधिक की जा सकती है ।

प्राचार्य

परिशिष्ट-02

आवेदन पत्र का प्रारूप

नवीन कलर पासपोर्ट फोटो

प्रति,

प्राचार्य ,
प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस श्री नीलकण्ठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर (अग्रणी) महाविद्यालय, खण्डवा

1. आवेदित पद का नाम ....
2. आवेदक/आवेदिका का पूरा नाम ....
3. आवेदक/आवेदिका के पिता/पति का नाम ....
4. जन्म तिथि (10+2 प्रमाण पत्र के आधार पर) : वर्ष .... माह .... दिन ....
5. वर्ग(OBC/ SC/ ST/ EWS/ UR) ....
6. यदि आवेदक विवाहित हो तो विवाह के प्रमाण पत्र के अनुसार विवाह दिनांक ....
7. जीवित बच्चों का विवरण ....
8. स्थाई पता ....
9. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं रोजगार कार्यालय का नाम........................
   ....
10. शैक्षणिक योग्यता(कम्प्यूटर डिप्लोमा एवं सी.पी.सी.टी. स्कोर कार्ड की जानकारी सहित)

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	विषय	प्राप्तांक	श्रेणी

11. अतिरिक्त विशेष योग्यता/अनुभव यदि हो तो ....

12. उपरोक्त विवरण के संबंध में सभी प्रमाण पत्र की छायाप्रति अभिप्रमाणित कर प्रस्तुत करें ।

संलग्न :- प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति ।

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर

//घोषणा पत्र//

मैं घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है । वह मेरे विवेक एवं ज्ञान से पूर्णतः सत्य है। जानकारी असत्य पाई जाने पर मेरा आवेदन निरस्त माना जावेगा।

स्थान :-

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर एवं पूरा पता

....

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन

सतपुड़ा भवन, भोपाल 462004

E- Mail ID- heinongaz@mp.gov.in

क्रमांक 1163 /60/न्या./आउशि/शा.-3/24 भोपाल, दिनांक 20/8/24

प्रति,

समस्त अग्रणी प्राचार्य,

शासकीय महाविद्यालय,

उच्च शिक्षा, म.प्र. ।

विषय:-दिव्यांगजनों के रिक्त पदों पर वॉक-इन-इंटरव्यू (विशेष भर्ती) के माध्यम से पूर्ति के संबंध में ।

संदर्भ 1. कार्या. पत्र क्र. 1002/60/न्या./आउशि/शा.-3/24, दिनांक 18.07.2024

2. कार्या. पत्र क्र. 982/60/न्या./आउशि/शा.-3/24, दिनांक 12.07.2024

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों (एवं संलग्नकों) का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र-1 के माध्यम से प्रदेश के समस्त अग्रणी महाविद्यालयों से विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यागजनों के संबंध में जानकारी चाही गई थी । उक्त जानकारी के आधार पर तथा प्रदेश स्तर पर किये गये चिन्हांकन के अनुरूप प्रयोगशाला परिचारक, स्वीपर एवं अन्य चतुर्थ श्रेणी के पदों की तालिकाएं तैयार की गई हैं जिनका परीक्षण 02 बार आपके द्वारा भी किया गया है । उक्त तालिकाएं पुन: संलग्न कर आपकी ओर सहायार्थ प्रेषित हैं।

आपको निर्देशित किया जाता है कि दिव्यांगजनों के उक्त तालिकाओं के अनुरूप विज्ञापन जारी कर 02 सितंबर 2024 से 07 सितंबर 2024 तक वॉक-इन-इंटरव्यू कराना सुनिश्चित करें । वॉक-इन-इंटरव्यू में तैयार की गई चयन सूची के आधार पर दिव्यांगजनों का चयन कर संबंधित वर्ग के रिक्त पद पर दिनांक 17 सितंबर 2024 से 21 सितंबर 2024 तक नियुक्ति प्रदान करें।

विज्ञापन/नियुक्ति पत्र जारी करते समय संलग्न आवश्यक नियम एवं निर्देशों तथा निम्नानुसार प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करें :-

1. विज्ञापन संलग्न तालिकाओं के अनुसार जारी करना सुनिश्चित करें यदि पूर्व में जारी किये गये विज्ञापन और संलग्न तालिकाओं में भिन्नता है तो संशोधित विज्ञापन जारी करें।
2. विज्ञापन में पद की श्रेणी (LD, EH, VH MD) वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता तथा पदनाम का स्पष्ट उल्लेख किया जावे ।
3. विज्ञापन का व्यापक प्रचार प्रसार समाचार पत्रों, विभागीय वेबसाईट, इलेक्ट्रानिक मीडिया में किया जावे, ताकि हर श्रेणी के दिव्यांगजन विज्ञापन से अवगत हो सके ।
4. आवेदन पत्र तथा आवश्यक नियम एवं निर्देश विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करावें । जारी किए गए विज्ञापन में वेबसाईड की लिंक उल्लेखित की जावे, ताकि अभ्यर्थी नियम तथा निर्देशों से अवगत हो सकें ।

A31

निरंतर 2

5. प्रावीण्य सूची न्यूनतम अर्हता के अंकों के आधार पर एवं पद की शर्तो के अनुरूप बनायी जावे ।
6. प्रावीण्य सूची का प्रकाशन विभागीय वेबसाईट पर किया जावे ।
7. परिशिष्ट-1 के अनुसार पर्यवेक्षक संपूर्ण प्रक्रिया का ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन पर्यवेक्षण करेंगे तथा निर्धारित समिति के शेष सदस्यों का वॉक-इन-इंटरव्यू के समय (विशेषतः सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक) का उपस्थित होना अनिवार्य है।
8. वॉक-इन-इंटरव्यू में अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों का परीक्षण किया जावे, यह स्पष्ट किया जाता है कि साक्षात्कार के पृथक से अंक दिये जाने की आवश्यकता नहीं है ।
9. विज्ञापन में रिक्त पदों के समक्ष उनके वर्ग (UR, EWS, SC, ST, OBC) का उल्लेख न किया जावे, परंतु संबंधित वर्ग के अभ्यर्थी की नियुक्ति संबंधित वर्ग के रिक्त पद पर ही की जावे। चयन सूची जारी करते समय उपरोक्त तथ्य का परिपालन सुनिश्चित किया जावे तथा चयन सूची विभागीय वेबसाईड पर अपलोड की जावे ।
10. अग्रणी प्राचार्य संपूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने स्तर से प्राचार्यों को निर्देशित कर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्र जारी करना सुनिश्चित करें।
11. कार्यालय आयुक्त द्वारा दिव्यांगजनों के रिक्त पदों की पुष्टि हेतु कई बार पत्राचार एवं वीडियों कॉन्फ्रेसिंग की जा चुकी है तथा नियम एवं निर्देश भी जारी किये जा चुके हैं तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें ।
12. सहायक वर्ग-3 के पद प्रदेश स्तर पर वस्तुतः रिक्त न होने से दिव्यांजनों की भर्ती में सहायक वर्ग-3 पद का विज्ञापन न किया जावे ।

संलग्नः-1. संदर्भित पत्र एवं उनके संलग्नक, निर्धारित समिति, शैक्षणिक योग्यता, आवश्यक नियम एवं शर्ते, आवेदन का प्रारूप, विज्ञापन का प्रारूप, नियुक्ति पत्र का प्रारूप ।

2. प्रयोगशाला परिचारक, स्वीपर एवं अन्य चतुर्थ श्रेणी के पदों की तालिकाएं ।

(निशांत वरवड़े)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक /60/न्या./आउशि/शा.-3/24 भोपाल दिनांक -

प्रतिलिपि :-

1. स्टॉफ ऑफीसर, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
2. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय भोपाल ।
3. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
4. समस्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश ।

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

प्रयोगशाला परिचारक के दिव्यांजनों की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	अग्रणी प्राचार्य का नाम एवं मोबाईल नम्बर	आपके जिला अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में सीधी भर्ती के नियमित प्रयोगशाला परिचारक के कुल स्वीकृत पद	आपके जिला अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में सीधी भर्ती के नियमित प्रयोगशाला परिचारक के कुल स्वीकृत पदों के 6 प्रतिशत पद (अर्थात् दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित पद)	आपके जिला अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में सीधी भर्ती के नियमित प्रयोगशाला परिचारक के कुल रिक्त पद	आपके जिला अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में सीधी भर्ती के नियमित प्रयोगशाला परिचारक के "लोकोमीटर डिसेबिलिटी (LD)" के निर्धारित स्वीकृत पद	आपके जिला अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में सीधी भर्ती के प्रयोगशाला परिचारक के "बहरे और कम सुनने वाले (EH)" के निर्धारित स्वीकृत पद	आपके जिला अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में सीधी भर्ती के नियमित प्रयोगशाला परिचारक के "लोकोमीटर डिसेबिलिटी (LD)" के भरे पद	आपके जिला अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में सीधी भर्ती के प्रयोगशाला परिचारक के "बहरे और कम सुनने वाले (EH)" के भरे पद	आपके जिला अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में सीधी भर्ती के नियमित प्रयोगशाला परिचारक के "लोकोमीटर डिसेबिलिटी (LD)" के रिक्त पद	आपके जिला अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में सीधी भर्ती के प्रयोगशाला परिचारक के "बहरे और कम सुनने वाले (EH)" के रिक्त पद	संभाग	अतिशेष पद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	INDORE	DR.ANOOP KUMAR JAGGI, 7999682742	54	3	21	2	1	4	0	0	1	इंदौर संभाग	02 LD अतिशेष
2	Dhar	9425936020	18	1	5	1	0	1	0	0	0		
3	alirajpur	Dr.Alpana Bariya Mo. 9111412223	4	0	1	0	0	0	0	0	0		
4	JHABUA	DR. J.C. SINHA 9425333046	7	0	1	0	0	0	1	0	0		01 EH अतिशेष
5	Badwani	डॉ. वीणा सत्य, प्रभारी प्राचार्य, 9425982043	22	1	8	1	0	0	0	1	0		
6	KHANDWA	DR. GANESH PRASAD DAWRE, 9300784493	18	1	9	0	1	0	0	0	1		
7	Khargone	Dr. Shail Joshi, 9425415367	27	2	12	1	1	0	0	1	1		
8	Burhanpur	Dr Raju Sapkale 9926638656	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Ujjain	Dr Vandana Gupta 9827535043	43	3	3	1	2	0	0	1	2	उज्जैन संभाग	
10	ratlam	डॉ. वाय के मिश्र 7987626385 pgcolrtm@gmail.com	31	2	13	1	1	0	0	1	1		
11	Agar Malwa	Dr.Rekha Gupta	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Neemuch	Dr K L Jat 9425108144	25	2	1	1	1	1	0	0	1		
13	Mandsaur	Dr. B. R. Nalwaya, 9826769449	13	1	9	0	1	0	0	0	1		
14	DEWAS	Dr Ratan Singh Anare Mob 9425367986	18	1	10	1	0	1	0	0	0		
15	Shajapur	Dr. B.S. Bibhuti 9425492576	15	1	13	0	1	0	0	0	1		
16	Rewa and Mauganj	Dr. Arti Saxena 9424338578	52	3	12	2	1	2	1	0	0	रीवा संभाग	
17	Umaria	Dr. C.B. Sodia, 9424450688	9	1	3	0	1	0	0	0	1		
18	Sidhi	Dr. Pradeep kumar Singh Mo. 9425179818	22	1	7	0	1	0	0	0	1		02 MD अतिशेष
19	Shahdol	Dr Usha Neelam 9893624124	33	2	5	1	1	0	0	1	1		
20	Anuppur	Dr. J.K. sant 9893076404	9	1	5	1	0	1	0	0	0		
21	Singroli	प्राचार्य का नाम- डॉ एम यू सिद्दीकी, मोबाईल नम्बर- 8770216382	12	1	8	1	0	1	0	0	0		
22	Satna	डॉ0 शिवेश प्रताप सिंह 9827063262	34	2	16	1	1	0	1	1	0		
23	Sagar	Dr. Sanjeev Dubey 9406916164	30	2	11	1	1	1	0	0	1	सागर संभाग	
24	Damoh	Dr. p. k.jain 9425455494	30	2	18	1	1	0	0	1	1		
25	TIKAMGARH	DR INDRAJEET JAIN 9425473918	15	1	1	0	1	1	1	0	0		1 LD अतिशेष
26	CHHATARPUR (M.P.)	DR. P.K. DIXIT, 9425363816	13	1	7	0	1	0	0	0	1		

स्वीपर के दिव्यांगजन पदों की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	अग्रणी प्राचार्य का नाम एवं मोबाईल नम्बर	आपके जिला अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में नियमित स्वीपर के कुल स्वीकृत पद	आपके जिला अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में नियमित स्वीपर के कुल स्वीकृत पदों के 6 प्रतिशत पद (अर्थात् दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित पद)	आपके जिला अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में नियमित स्वीपर के कुल रिक्त पद	आपके जिला अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में नियमित स्वीपर के "लोकोमीटर डिसेबिलिटी (LD)" के स्वीकृत पद	आपके जिला अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में नियमित स्वीपर के "बहरे और कम सुनने वाले (EH)" के स्वीकृत पद	आपके जिला अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में नियमित स्वीपर के "दृष्टिबाधित एवं कम दृष्टि (VH) केस्वीकृत पद"	आपके जिला अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में नियमित स्वीपर के "ऑटिज्म, बौद्धिक, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मानसिक बिमारी और बहुविकलांगता (MD)" के स्वीकृत पद	आपके जिला अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में नियमित स्वीपर के "लोकोमीटर डिसेबिलिटी (LD)" के भरे पद	आपके जिला अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में नियमित स्वीपर के "बहरे और कम सुनने वाले (EH)" के भरे पद	आपके जिला अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में नियमित स्वीपर के "दृष्टिबाधित एवं कम दृष्टि (VH) के भरे पद"	आपके जिला अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में नियमित स्वीपर के "ऑटिज्म, बौद्धिक, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मानसिक बिमारी और बहुविकलांगता (MD)" के भरे पद	आपके जिला अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में नियमित स्वीपर के "लोकोमीटर डिसेबिलिटी (LD)" के रिक्त पद	आपके जिला अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में नियमित स्वीपर के "बहरे और कम सुनने वाले (EH)" के रिक्त पद	आपके जिला अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में नियमित स्वीपर के "दृष्टिबाधित एवं कम दृष्टि (VH) के रिक्त पद"	आपके जिला अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में नियमित स्वीपर के "ऑटिज्म, बौद्धिक, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मानसिक बिमारी और बहुविकलांगता (MD)" के रिक्त पद	संभाग	अतिशेष/रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	INDORE	DR. ANOOP KUMAR JAGGI, 7999682742	14	1	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	इंदौर संभाग	
2	Dhar	9425936020	7	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Alirajpur	Dr alpana bariya mo 9111412223	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	JHABUA	DR. J.C. SINHA 9425333046	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Badwani	डॉ. वीणा सत्य, प्रभारी प्राचार्य, 9425982043	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	KHANDWA	DR. GANESH PRASAD DAWRE, 9300784493	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Khargone	Dr. Shail Joshi, 9425415367	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		01 LD अतिशेष
8	Burhanpur	Dr Raju Sapkale 9926638656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
9	Ujjain	Dr Vandana Gupta 9827535043	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	उज्जैन संभाग	
10	Ratlam	डा ॅ वाय के मिश्र 7987626385 pgcolrtm@gmail.com	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Agar Malwa	Dr. Rekha gupta	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Neemuch	Dr K L Jat 9425108144	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Mandsaur	Dr. B. R. Nalwaya, 9826769449	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	DEWAS	Dr Ratan Singh Anare Mob 9425367986	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Shajapur	Dr. B.S. Bibhuti	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Rewa and Mauganj	Dr. Arti Saxena 9424338578	10	1	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	रीवा संभाग	
17	Umaria	Dr. C.B. Sodia, 9424450688	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Sidhi	Dr. Pradeep Kumar Singh Mo. 9425179818	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Shahdol	Dr Usha Neelam 9893624124	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Anuppur	Dr. J.K. sant 9893076404	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Singroli	प्राचार्य का नाम- डॉ एम यू सिद्दीकी, मोबाईल नम्बर- 8770216382	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Satna	डॉ0 शिवेश प्रताप सिंह 9827063262	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Sagar	Dr. Sanjeev Dubey 9406916164	9	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	सागर संभाग	
24	damoh	Dr. p. k. jain 9425455494	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	TIKAMGARH	DR INDRAJEET JAIN 9425473918	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	CHHATARPUR (M.P.)	DR. P.K. DIXIT, 9425363816	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Panna	Dr. S.P.S. Parmar Mob. No. 9111525160	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Niwari	Dr.Naresh Sahgal 9926223859	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Gwalior	Dr. B.P.S. Jadon, 9425121177	14	1	9	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	ग्वालियर संभाग	
30	Ashoknagar	Manoj Thakur, 7005681196	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Bhind	डाॅ.आर.ए.शर्मा 9893013602	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

अन्य चतुर्थ श्रेणी के दिव्यांजनों के पदों की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	अग्रणी प्राचार्य का नाम एवं मोबाईल नम्बर	आपके जिला अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में सीधी भर्ती के नियमित अन्य चतुर्थ श्रेणी के कुल स्वीकृत पद	आपके जिला अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में सीधी भर्ती के नियमित अन्य चतुर्थ श्रेणी के कुल स्वीकृत पदों के 6 प्रतिशत पद (अर्थात् दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित पद)	आपके जिला अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में सीधी भर्ती के नियमित अन्य चतुर्थ श्रेणी के कुल रिक्त पद	आपके जिला अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में सीधी भर्ती के नियमित अन्य चतुर्थ श्रेणी के "लोकोमीटर डिसेबिलिटी (LD)" के स्वीकृत पद	आपके जिला अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में सीधी भर्ती के नियमित अन्य चतुर्थ श्रेणी के "बहरे और कम सुनने वाले (EH)" के स्वीकृत पद	आपके जिला अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में सीधी भर्ती के नियमित अन्य चतुर्थ श्रेणी के "दृष्टिबाधित एवं कम दृष्टि (VH) के स्वीकृत पद"	आपके जिला अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में सीधी भर्ती के नियमित अन्य चतुर्थ श्रेणी के "ऑटिज्म, बौद्धिक, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मानसिक बिमारी और बहुविकलांगता (MD)" के स्वीकृत पद	आपके जिला अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में सीधी भर्ती के नियमित अन्य चतुर्थ श्रेणी के "लोकोमीटर डिसेबिलिटी (LD)" के भरे पद	आपके जिला अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में सीधी भर्ती के नियमित अन्य चतुर्थ श्रेणी के "बहरे और कम सुनने वाले (EH)" के भरे पद	आपके जिला अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में सीधी भर्ती के नियमित अन्य चतुर्थ श्रेणी के "दृष्टिबाधित एवं कम दृष्टि (VH) के भरे पद"	आपके जिला अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में सीधी भर्ती के नियमित अन्य चतुर्थ श्रेणी के "ऑटिज्म, बौद्धिक, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मानसिक बिमारी और बहुविकलांगता (MD)" के भरे पद	आपके जिला अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में सीधी भर्ती के नियमित अन्य चतुर्थ श्रेणी के "लोकोमीटर डिसेबिलिटी (LD)" के रिक्त पद	आपके जिला अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में सीधी भर्ती के नियमित अन्य चतुर्थ श्रेणी के "बहरे और कम सुनने वाले (EH)" के रिक्त पद	आपके जिला अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में सीधी भर्ती के नियमित अन्य चतुर्थ श्रेणी के "दृष्टिबाधित एवं कम दृष्टि (VH) के रिक्त पद"	आपके जिला अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में सीधी भर्ती के नियमित अन्य चतुर्थ श्रेणी के "ऑटिज्म, बौद्धिक, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मानसिक बिमारी और बहुविकलांगता (MD)" के रिक्त पद	संभाग	अतिशेष/रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	INDORE	DR. ANOOP KUMAR JAGGI, 7999682742	148	9	76	3	2	2	2	4	2	1	0	0	0	1	2	इंदौर संभाग	01 LD अतिशेष
2	Dhar	9425936020	49	3	24	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0		
3	alirajpur	Dr.Alpana Bariya mo 9111412223	7	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	JHABUA	DR. J.C. SINHA 9425333046	21	1	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
5	Badwani	डॉ. वीणा सत्य, प्रभारी प्राचार्य, 9425982043	39	2	22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0		02 पद भरे किन्तु 02 VH/MD का विज्ञापन किया है।
6	KHANDWA	DR. GANESH PRASAD DAWRE, 9300784493	32	2	20	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1		
7	Khargone	Dr. Shail Joshi, 9425415367	33	2	12	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1		
8	Burhanpur	Dr Raju Sapkale 9926638656	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Ujjain	Dr Vandana Gupta 9827535043	55	3	33	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	उज्जैन संभाग	
10	रतलाम	डा वाय के मिश्र 7987626385 pgcolrtm@gmail.com	41	2	12	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1		
11	Agar Malwa	Dr. Rekha Gupta, 9425034117	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Neemuch	Dr K L Jat. 9425108144	27	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		
13	Mandsaur	Dr. B. R. Nalwaya mob 9826769449	27	2	12	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1		
14	DEWAS	Dr Ratan Singh Anare Mob 9425367986	23	1	9	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
15	Shajapur	Dr. V.S. Bibhuti 9425492576	26	2	11	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0		
16	Rewa and Mauganj	Dr. Arti Saxena 9424338578	85	5	36	1	2	2	0	1	2	3	0	0	0	0	0	रीवा संभाग	01 VH अतिशेष
17	Umaria	Dr. C.B. Sodia, 9424450688	7	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Sidhi	Dr. Pradeep Kumar Singh Mo. 9425179818	35	2	14	0	1	1	0	0	1	1	2	0	0	0	0		02 MD अतिशेष
19	Shahdol	Dr Usha Neelam 9893624124	46	3	9	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1		
20	Anuppur	Dr. J.K. sant 9893076404	17	1	9	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
21	Singroli	प्राचार्य का नाम - डा एम यू सिद्दीकी, मोबाईल नम्बर- 8770216382	20	1	10	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	संभाग	

45	Jabalpur	Dr. A. C. Tiwari, 9826122347	79	5	79	2	1	1	1	2	0	1	0	0	1	0	1		01 MD पद विज्ञापित
46	CHHINDWARA	DR LAXMICHAND 9425477966	49	3	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1		
47	DINDORI	Dr. TULSI KARCHAM, Mob. No. 9752243243	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
48	BALAGHAT	DR. P. R. CHANDELKAR, 9425360861	49	3	12	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	जबलपुर संभाग	
49	Katni	Dr. S. K. Khare 7898568023	23	1	14	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
50	Mandla	Dr Vijendra Chourasia 9425164934	24	1	6	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
51	Narsinghpur	Dr Smt Mamta Sharma Mo 7999174175	16	1	11	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
52	SEONI	DR RAVI SHANKAR NAG 8085698953	27	2	13	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1		
			1877	108	836	28	28	27	25	19	11	11	4	11	17	17	23		

नोट : 1. कॉलम नं. 15 से 18 के रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी किया जाना है ।
2. उपरोक्त जानकारी अग्रणी प्राचार्य के द्वारा भरे गये गूगल फार्म के आधार पर तैयार की गई है ।

परिशिष्ट -1

निर्धारित समिति

1.	नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारी	- प्रदेश स्तर पर्यवेक्षक
2.	क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक	- संभागीय पर्यवेक्षक
3.	प्राचार्य अग्रणी महाविद्यालय	- जिला मुख्यालय, अध्यक्ष
4.	प्राचार्य संबंधित शासकीय महाविद्यालय	- सदस्य (नियोक्ता)
5.	प्रत्येक महाविद्यालय के 02 प्राध्यापक,	- सदस्य
6.	सामाजिक न्याय विभाग (उप संचालक)	- विशेष आमंत्रित सदस्य

शैक्षिणक योग्यता/अर्हता

1	प्रयोगशाला परिचालक	10 वीं कक्षा उत्तीर्ण,
2	भृत्य	8 वीं कक्षा उत्तीर्ण
3	अन्य चतुर्थ श्रेणी	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नियमानुसार

आवश्यक नियम एवं निर्देश :-

1. आवेदक का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. समस्त प्रमाण पत्र की स्वंय सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष निर्धारित है ।
4. आवेदक का म.प्र. में किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
5. विभाग में कार्यरत आवेदक कर्मचारी नियोजक के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
6. साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां दिखाना अनिवार्य है।
7. संबधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ही प्रमाण-पत्र मान्य होगा, ऐसे दिव्यांग जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम है वे अपात्र मान्य किये जावेंगे तथा साथ ही यू.डी.आई.डी. से जारी दिव्यांगता डिजिटल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
8. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, इस पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
9. जिस आवेदक को 02 से अधिक संतान है उनमें से एक का जन्म यदि 26 जनवरी 2001 को या उससे पश्चात हुआ हो तब ऐसा आवेदक नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

10. साक्षात्कार से पूर्व संबंधित पद की समस्त अर्हता/योग्यता आवेदक के पास होना आवश्यक है।
11. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा भोपाल के पास सुरक्षित होगें।
12. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक दिनांक 17/07/2014 के अनुसार नि:शक्तजनों की नियुक्ति के पश्चात् एवं उनके कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड से नि:शक्तता प्रमाण पत्र का परिक्षण कराया जाये।
13. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 13.10.2015 के अनुसार मूक बधिर श्रेणी के नि:शक्तजनों की शासकीय भर्ती से पूर्व मेडिकल बोर्ड में बैरा टेस्ट (Bera Test) कराना अनिवार्य है।
14. मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र दिनांक 31.05.2024 की कंडिका 2.4 के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से की जाये, यह स्पष्ट किया गया है कि वॉक-इन-इंटरव्यू से आशय साक्षात्कार के लिए पृथक से अंक दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग के रिक्त पदों के लिए नियमों में उल्लेखित आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता के आधार पर मैरिट सूची बनायी ज़ाकर पद पूर्ति की जाए।
15. इस विशेष भर्ती अभियान में सामान्य प्रशासन विभाग एवं मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के समय-समय पर जारी नियम एवं निर्देश लागू किये जावेंगे।
16. विज्ञापित पदों की संख्या कम या अधिक की जा सकती है।

AM

परिशिष्ट-02

आवेदन पत्र का प्रारूप

नवीन कलर पासपोर्ट फोटो

प्रति,

प्राचार्य ,
समस्त अग्रणी महाविद्यालय
मध्यप्रदेश।

1. आवेदित पद का नाम ....
2. आवेदक/आवेदिका का पूरा नाम ....
3. आवेदक/आवेदिका के पिता/पति का नाम ....
4. जन्म तिथि (10+2 प्रमाण पत्र के आधार पर) : वर्ष .... माह .... दिन ....
5. वर्ग(OBC/ SC/ ST/ EWS/ UR) ....
6. यदि आवेदक विवाहित हो तो विवाह के प्रमाण पत्र के अनुसार विवाह दिनांक ....
7. जीवित बच्चों का विवरण ....
8. स्थाई पता ....
9. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं रोजगार कार्यालय का नाम..........................
....
10. शैक्षणिक योग्यता(कम्प्यूटर डिप्लोमा एवं सी.पी.सी.टी. स्कोर कार्ड की जानकारी सहित)

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	विषय	प्राप्तांक	श्रेणी

11. अतिरिक्त विशेष योग्यता/अनुभव यदि हो तो ....

12. उपरोक्त विवरण के संबंध में सभी प्रमाण पत्र की छायाप्रति अभिप्रमाणित कर प्रस्तुत करें ।

संलग्न :- प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति ।

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर

//घोषणा पत्र//

मैं घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है । वह मेरे विवेक एवं ज्ञान से पूर्णत: सत्य है। जानकारी असत्य पाई जाने पर मेरा आवेदन निरस्त माना जावेगा।

स्थान :-

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर एवं पूरा पता

....

An

...र्यालय प्राचार्य अग्रणी शासकीय ....
महाविद्यालय .... म.प्र.

...मांक / / 2024 दिनांक

// दिव्यांगजनों हेतु विशेष भर्ती अभियान //

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत जिले .... में निम्नानुसार दिव्यांगजनों के रिक्त पदों हेतु विशेष भर्ती अभियान के तहत निर्धारित योग्यता एवं अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिये दिनांक .... तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

				दिव्यांगजन के लिए आरक्षित रिक्त पदों की संख्या			
क्र.	पदनाम/वेतनमान	पद श्रेणी	शैक्षणिक योग्यता	"लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मक्त, बौनापन, एसिड अटैक, मस्कुलर डिस्ट्राफी (LD)'	"बहरे और कम सुनने वाले (EH)'	"दृष्टिबाधित एवं कम दृष्टि (VH)"	"ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मानसिक बिमारी और बहुविकलांगता (MD)"
1	प्रयोगशाला परिचारक (18000-56900)	चतुर्थ श्रेणी					
2	स्वीपर (15500-49000)	चतुर्थ श्रेणी					
3	अन्य चतुर्थ श्रेणी के पदों का पदनाम, वेतनमान	चतुर्थ श्रेणी					

उक्त विज्ञापन के आवश्यक नियम एवं निर्देश तथा आवेदन का प्रारूप महाविद्यालय की वेवसाइट .... पर उपलब्ध है।

प्राचार्य शासकीय अग्रणी ....
महाविद्यालय ....

शासकीय महाविद्यालय ...., जिला ....

क्रमांक /स्था./2023 दिनांक

//आदेश//

म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 8-2/2013/आप्र/एक, दिनांक 22.02.2014, पत्र दिनांक 30.06.2014, दिनांक 04.01.2024 एवं दिनांक 31.05.2024 के द्वारा नि:शक्तजन नियुक्ति के संबंध में एवं शासन के अन्य प्रभावशील निर्देशों के तहत समिति द्वारा निर्मित चयन सूची अनुसार आवेदक श्री/सुश्री/श्रीमती .... (वर्ग-UR,EWS,OBC,SC,ST) पिता/पति............................... को महाविद्यालय की स्थापना के अन्तर्गत रिक्त .... (वर्ग-UR,EWS,OBC,SC,ST) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निम्नलिखित शर्तों के अधीन तीन वर्षों की परिवीक्षा अवधि पर अस्थाई रूप से सातवें वेतनमान .... एवं शासन द्वारा देय महंगाई एवं अन्य भत्तों पर **नि:शक्तजन विशेष भर्ती अभियान** के तहत नियुक्त किया जाता है :-

01. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्र. सी 3-13/2019/3/ एक, दिनांक 12 दिसंबर 2019 द्वारा जारी किये गये निर्देशों एवं मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-1-2020 -नियम-चार दिनांक 22 फरवरी 2020 द्वारा मध्यप्रदेश मूलभूत नियम की कंडिका 22 सी में किये गये संशोधन के अनुसार, नियुक्त शासकीय सेवक को परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

02. आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित होकर कार्य भार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। इस समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

03. अस्थाई नियुक्ति के दौरान अस्थाई सेवाएं किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का सूचना पत्र अथवा एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। सूचना पत्र देने के पूर्व या बाद में अपने कार्य से विना पूर्व अनुमति के अनुपस्थिति अथवा विना नोटिस/सूचना पत्र सेवाएं छोड़ने पर अनुपस्थिति दिनांक से ही एक माह अथवा एक माह के नोटिस से जितनी भी कम हो उस अवधि का वेतन एवं भत्तों का भुगतान करना होगा।

04. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ - 9/3/2003/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 13.04.2005 के अनुसार म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नही होगा, नियुक्त उम्मीदवारों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना की पात्रता होगी। इसी प्रकार म.प्र. शासन वित्त विभाग के अधिसूचना क्र. एफ-5/1/2005/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 02.04 2005 के निर्देशानुसार म.प्र. सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नही होंगे।

05. म.प्र. शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ - 9/3/2003/नियम/चार भोपाल, दिनांक 13.04.2005 के पालन में नियुक्ति दिनांक से मासिक वेतन तथा महंगाई भत्तों का 10 प्रतिशत अंशदान पेंशन योजना के लिए कर्मचारी अंशदान के रूप में काटा जावेगा।

निरंतर 2

06. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ सी -3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवंबर 2012 के संलग्न प्रारूप के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

07. नियुक्ति आदेश के अनुसार पदभार ग्रहण करने पर नियुक्त किये गये सभी उम्मीदवार राज्य शासन के सेवक होंगे तथा ये राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवकों के संबंध में जारी तथा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत नियुक्ति के उक्त पद पर एवं श्रेणी पर लागू सभी अधिनियम, नियम, आदेश एवं परिपत्र से शासित होंगे एवं इनका पालन करना इनके लिये अनिवार्य होगा । विशेपतः नियुक्त उम्मीदवारों की सेवाएं म.प्र. अराजपत्रित सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम 1977 (चतुर्थ श्रेणी), म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की शर्तें) नियम, 1961 तथा म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं इन नियमों के संशोधनों के अध्यधीन होंगी ।

08. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र. एफ8-3/2013/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 17.07.2014 के अनुसार नियुक्त नि:शक्तजनों के नि:शक्ता प्रमाण-पत्र का परीक्षण कार्यभार ग्रहण कराये जाने के पूर्व संबंधित जिला मेडिकल बोर्ड से कराया जाएगा । जांच में 40 प्रतिशत या अधिक नि:शक्तता पाई जाती है तभी इनको एतद् द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा, अन्यथा नही। मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र. एफ 8-2/2015/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 13.10.2015 के अनुसार मूक–बधिर श्रेणी के नि:शक्तजनों के लिये बैरा-टेस्ट कराना अनविार्य है ।

09. यह नियुक्ति मेडिकल बोर्ड से उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने एवं चरित्र सत्यापन (पुलिस वेरिफिकेशन) की प्रत्याशा में की जाती है । मेडिकल बोर्ड अथवा पुलिस द्वारा अयोग्य पाये जाने पर सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी ।

10. यह नियुक्ति मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी निर्देशों के अध्यधीन होगी। यदि मध्यप्रदेश शासन, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल द्वारा इस नियुक्ति के संबंध में अन्य कोई निर्देश दिये जाते है तो उक्त निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा ।

11. नियुक्ति के पश्चात् यदि यह पाया जाता है कि आप शासकीय सेवा में रखे जाने योग्य नहीं है तो आपको दी गई नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

12. उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ दो नवीन रिक्त सेवा पुस्तिकाएं प्रस्तुत करना होगा, इसके अतिरिक्त नि:शक्तजन प्रमाण-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र/अंकसूची, शैक्षणिक अर्हता के प्रमाण-पत्र, स्थायी मूल निवासी प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड एवं समग्र आईडी की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा इनकी स्वप्रमाणित 02-02 छायाप्रतियां भी उपलब्ध कराना होगा ।

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय, ...
जिला ....

निरंतर 3

पृ. क्रमांक /स्था./2024 दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, मा. मंत्री जी, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, भोपाल।
2. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. निज सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
4. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्यप्रदेश, ग्वालियर/ भोपाल, म.प्र. ।
5. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, अराजपत्रित शाखा-3/ आई.टी. सेल, उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल।
7. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ... संभाग, ... म.प्र. ।
8. प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, ..., म.प्र. ।
9. संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक/ मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, म.प्र. ।
10. लेखा शाखा/स्थापना शाखा, शासकीय महाविद्यालय, ..., म.प्र. ।
11. व्यक्तिगत नस्ती में संधारण/प्रविष्टि हेतु।
12. संबंधित...(म.प्र.) .... की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय, ...

जिला ....

(49)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन भोपाल 462004

क्रमांक 1002 /60/न्या./आउशि/शा.-3/24 भोपाल दिनांक 18/7/24

प्रति,

समस्त प्राचार्य,
शासकीय अग्रणी महाविद्यालय
मध्यप्रदेश।

विषयः-दिव्यांजनों के रिक्त पदों पर वाक-इन-इंटरव्यू (विशेष भर्ती) के माध्यम से नियुक्ति के संबंध में।

संदर्भः-कार्यालयीन पत्र क्र. 830/127/आउशि/शा.-3/24, दिनांक 14.06.2024, पत्र दिनांक 27.06.2024, पत्र दिनांक 09.07.2024 एवं 982-83/न्या./आउशि/शा.-3/24, दिनांक 12.07.2024

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्र. 7275/2019 नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लांइड एमपी ब्रांच विरूद्ध शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30 जनवरी 2024 के संबंध में दिव्यांजनों के पदों की पूर्ति वाक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है।

दिव्यांजनों के पद पूर्ति हेतु संदर्भित पत्रों द्वारा 03 बार जानकारी चाही गई थी, परंतु कई प्राचार्यों द्वारा आज दिनांक तक जानकारी प्रेषित नहीं की है एवं कई प्राचार्यो द्वारा त्रुटिपूर्ण जानकारी प्रेषित की जा रही हैं जो कि गंभीर प्रशासनिक उदासीनता का द्योतक है।

अतः समस्त अग्रणी प्राचार्यो को आदेशित किया जाता है कि इस पत्र में संलग्न 04 गूगल फॉर्म में जानकारी एक ही बार में, जिला रोस्टर अनुसार 02 दिवस में प्रविष्ट करें, त्रुटिपूर्ण जानकारी एवं विलंब की स्थिति के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। चूंकि दिव्यांजनों का चिन्हांकन कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा कराया गया है, अतः इस कार्यालय से दिव्यांजनों के रिक्त पदों के अनुमोदन उपरांत ही नियुक्ति पत्र जारी करें।

गूगल लिंक : सहायक वर्ग-3 : https://forms.gle/4p5xTjxnBWrfLXKP7
प्रयोगशाला परिचारक : https://forms.gle/HEkqJxmLhcEMAfQJ8
स्वीपर : https://forms.gle/tmiYuzj75VaMMpEj9
अन्य चतुर्थ श्रेणी : https://forms.gle/iowqYLAkEfp1WTm57

(निशांत वरवड़े)
आयुक्त
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

क्रमांक 1003 /60/न्या. /आउशि/शा.-3/24 भोपाल दिनांक 18/7/24

प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी. सेल, उच्च शिक्षा संचालनालय भोपाल।
3. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।

आयुक्त
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

(45)

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन

सतपुड़ा भवन, भोपाल 462004

E- Mail ID- henongaz@mp.gov.in

क्रमांक 982 /60/न्या./आउशि/शा.-3/24 भोपाल, दिनांक 12/7/24

प्रति,

समस्त अग्रणी प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय
उच्च शिक्षा, म.प्र. ।

विषय:-दिव्यांगजनों के रिक्त पदों पर वॉक-इन-इंटरव्यू (विशेष भर्ती) के माध्यम से नियुक्ति के संबंध में ।

संदर्भ:-1. म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 8-2/2013/आप्र/एक, दिनांक 22.02.2014, पत्र दिनांक 30.06.2014, दिनांक 04.01.2024 एवं दिनांक 31.05.2024

2. उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र. 834/1595754/2020/38-1, दिनांक 29.05.2024 एवं पत्र क्र. 870/1595754/2020/38-1, दिनांक 05.06.2024

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के तारतम्य में लेख है कि प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालयों में दिव्यांगजनों के रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है । इस कार्य हेतु प्राचार्य, अग्रणी महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि सामाजिक न्याय विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तथा परिशिष्ट-01 एवं 02 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार आपके क्षेत्रांतर्गत समस्त शासकीय महाविद्यालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के दिव्यांजनों के रिक्त पदों की पूर्ति अराजपत्रित भर्ती नियमों में उल्लेखित प्रावधान अनुसार करें। महाविद्यालयों में दिव्यांजनों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन के प्रकाशन संबंधी कार्यवाही 15.07.2024 तक पूर्ण करें ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार
(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

A. Agrawal
(डॉ. अजय अग्रवाल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक 983 /60/न्या/आउशि/शा.-3/24 भोपाल दिनांक - 12/7/24

प्रतिलिपि :-

1. स्टॉफ ऑफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
2. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय भोपाल ।
3. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
4. समस्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।

A. Agrawal
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन

सतपुड़ा भवन, भोपाल 462004

E_Mail ID- henongaz@mp.gov.in

क्रमांक 982/60/नी./आउशि/शा.-3/24 भोपाल, दिनांक 12/7/24

प्रति,

समस्त अग्रणी प्राचार्य,

शासकीय महाविद्यालय

उच्च शिक्षा, म.प्र.।

विषय:-दिव्यांगजनों के रिक्त पदों पर वॉक-इन-इंटरव्यू (विशेष भर्ती) के माध्यम से नियुक्ति के संबंध में।

संदर्भ:-1. म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 8-2/2013/आप्र/एक, दिनांक 22.02.2014, पत्र दिनांक 30.06.2014, दिनांक 04.01.2024 एवं दिनांक 31.05.2024

2. उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र. 834/1595754/2020/38-1, दिनांक 29.05.2024 एवं पत्र क्र. 870/1595754/2020/38-1, दिनांक 05.06.2024

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के तारतम्य में लेख है कि प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालयों में दिव्यांगजनों के रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है। इस कार्य हेतु प्राचार्य, अग्रणी महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि सामाजिक न्याय विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तथा परिशिष्ट 01 एवं 02 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार आपके क्षेत्रांतर्गत समस्त शासकीय महाविद्यालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के दिव्यांजनों के रिक्त पदों की पूर्ति [illegible] विशेष भर्ती नियमों में उल्लेखित प्रावधान अनुसार करें। महाविद्यालयों में दिव्यांगजनों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन के प्रकाशन संबंधी कार्यवाही 15.07.2024 तक पूर्ण करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. अजय अग्रवाल)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक 983/60/नी./आउशि/शा.-3/24 भोपाल दिनांक - 12/7/24

प्रतिलिपि :-

1. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय भोपाल।
3. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश.
4. समस्त प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

परिशिष्ट -1

निरीक्षण समिति

1. नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारी - प्रदेश स्तर पर्यवेक्षक
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक - संभागीय पर्यवेक्षक
3. प्राचार्य अग्रणी महाविद्यालय - जिला मुख्यालय अध्यक्ष
4. प्राचार्य संबंधित शासकीय महाविद्यालय - सदस्य (नियोक्ता)
5. प्रत्येक महाविद्यालय के 02 प्राध्यापक, - सदस्य
6. सामाजिक न्याय विभाग (उप संचालक) - विशेष आमंत्रित सदस्य

शैक्षणिक योग्यता/ अर्हता

1	सहायक ग्रेड-3	1. हायर सेकेंडरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य। 2. निम्नांकित संस्थाओं में से किसी एक संस्था/विश्वविद्यालय से 01 वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट अनिवार्य है.- (क) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। (ख) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। (ग) डी.ओ.ई.ए.सी.सी./नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी (NIELIT) से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा। (घ) शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स। (ड) शासकीय आई.टी.आई. द्वारा एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) प्रमाण-पत्र। उक्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी मान्य होगी:- उपरोक्त निर्दिष्ट संस्थाओं से बी.ई.(सी.एस.ई. / आई.टी.) / एम.सी.ए. / बी.सी.ए. / एम.एस.सी.(आई.टी. / सी.एस.) बी.एस.सी. (आई.टी. / सी.एस.) एम.टेक. / एम.ई. इत्यादि। अथवा ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित पॉलिटेनिक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साईंस/कम्प्यूटर एप्लिकेशन एवं इंफारमेशन टेकनोलॉजी। टीप :- बी.एस.सी./बी.कॉम/अन्य उपाधियां जिनमें केवल एक विषय के रूप में सम्मिलित है मान्य नहीं होगी। 3.म.प्र. शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर प्रमाणिकरण दक्षता परीक्षा (CPCT) हिन्दी टायपिंग 20 शब्द प्रतिमिनट अथवा उससे अधिक में उत्तीर्ण होना अनिवार्य।
2	प्रयोगशाला परिचारक	10 वीं कक्षा उत्तीर्ण,
3	भृत्य	8 वीं कक्षा उत्तीर्ण
4	अन्य चतुर्थ श्रेणी	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नियमानुसार